संख्या एस-12018/02/2017-एमजी
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
चिकित्सा सेवा अनुभाग

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक 15 मार्च, 2019

परिपत्र

विषय : राष्ट्रीय अंग और ऊत्तक प्रत्यारोपण संगठन (नोटो), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में 'भंडार अधिकारी' के पद के लिए भर्ती नियम तैयार करने के संबंध में ।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. संख्या 14017/61/2008-स्था. (भर्ती नियम) के अनुसार राष्ट्रीय अंग और ऊत्तक प्रत्यारोपण संगठन में 'भंडार अधिकारी' समूह 'क' के पद के लिए भर्ती नियमों का मसौदा हितधारकों की टिप्पणियों के लिए इस मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है।

अत: सभी हितधारकों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त भर्ती नियमों पर विचार करने तथा उन्हें अंतिम रूप देने के लिए भर्ती नियमों के उपर्युक्त मसौदे को देख लें तथा इस परिपत्र के जारी होने के भीतर अपनी टिप्पणियां यदि कोई हो, ई-मेल के माध्यम से samar.mazumder@nic.in पर भेज दें।

इसे संयुक्त सचिव (एमकेबी) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

अनुलग्नक: उपर्युक्त अनुसार

(राजीव अत्री)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23061883

सेवा में,
सभी संबंधित

(भारत के राजपत्र के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (I) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15.03.2019

अधिसूचना

सा.का.नि. ....संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्वारा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के तहत राष्ट्रीय अंग और ऊत्तक प्रत्यारोपण संगठन (एनओटीटीओ) में भंडार अधिकारी के पद पर भर्ती की विधि को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (i) इन नियमों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय अंग और ऊत्तक प्रत्यारोपण संगठन, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, भंडार अधिकारी समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2019 कहा जाएगा।
   (ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख् से प्रवृत्त होंगे।
2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर :-
   उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि-
   भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. निरर्हता – वह व्यक्ति,
   क. जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह का अनुबंध किया है जिसका पति या पत्नी जीवित है; या
   ख. जिसने एक पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है अथवा विवाह के लिए अनुबंध किया है;
   परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इससे सहमत है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वार्थ विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए आधार है तो व ह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
5. शिथिल करने की शक्ति – जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत् आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. व्यावृत्ति :- इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	क्या चयन पद है या अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भंडार अधिकारी	1* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य, केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-10, रु. 56,100 – रु. 1,77,500/-	लागू नहीं	लागू नहीं
सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती हेतु निर्धारित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होगी	प्रतिनियुक्ति की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों की संख्या		
(7)	(8)	(9)	(10)		
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति		

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वह ग्रेड, जिससे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाना है?	यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	ऐसी परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (1) केंद्र या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त या सांविधिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधिकारी, जो:- (क) (i) मूल संवर्ग/विभाग में सदृश पद धारण करते हैं; अथवा मूल संवर्ग/विभाग में वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 में नियमित आधार पर 2 वर्ष की सेवा रखते हैं; या (ii) मूल संवर्ग/विभाग में लेवल-7 में 3 वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं, और	लागू नहीं	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हैं:- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से डिग्री)। (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से सामग्री प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा वांछनीय: संभार तंत्र एवं आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में 3 वर्ष का अनुभव। टिप्पणी: केंद्र सरकार के एक या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व धारित अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अल्पकालीन संविदा सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा.सं. ए.12018/02/2017-एमजी]

(राजीव अत्री)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष नं. 23061883